न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:–349 / 2025

प्रार्थीगण::–

1. राणसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत
2. भमुतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत
3. मंगलसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत
4. पकुदेवी पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत
5. भोपालसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
6. महेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
8. विक्रमसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत

निवासी रोजियो की ढाणी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. जबरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत
2. रूपसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत

निवासी रोजियों की ढाणी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

2. श्री लादाराम वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2

::आदेश::

दिनांक:– 08.05.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 81 रकबा 0.5243 हैक्टेयर भूमि ग्राम रोजियो की ढाणी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा पूर्व से लगती विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.स. 82 रकबा 0.3701 आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग नीला से दर्शाया गया विप्रार्थी सं. 1 व 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री लादाराम परमार उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के बदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग नीला ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग नीला बिन्दू संख्या ए से बी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थीगण उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 82 के पूर्वी तरफ सरकारी खेत खसरा संख्या 74, 73, 72 एवं 75 किस्म गौचर व सरकारी लाठा की भूमियां है। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 81 एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 82 के मध्य पक्की दीवार पुरानी बनी है, जिसकी ताईद तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन का एक रास्ता खेत खसरा संख्या 84 की उत्तरी माठ –पूर्वी माठ माठ होते हुए आगे खसरा संख्या 85 में चल रहे रास्ता से आवागमन करते हुए आगे सरकारी रास्ता खसरा संख्या 57 में निर्बाध निरन्तर चालु है विप्रार्थीगण ने जवाब दावा में अंकित कथन को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट "ब" पेश किया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया की प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थीगण को खातेदारी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुँच तक विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 82 ही इकलौता स्त्रोत है खसरा संख्या 82 तक पहुँच हेतु खसरा संख्या 75 किस्म गै.मु. लाटा है जो मौके पर चालू है जिसमें सघन आबादी बसी हुई है तथा उक्त रास्ता मौके पर चालू है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम है तथा प्रस्तावित रास्ता से पूर्व में आवगमन होता था, प्रार्थीगण ने रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) को भलीभांति सिद्ध किया है, विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के आवागमन हेतु खेत खसरा संख्या 84 की उत्तरी माठ –पूर्वी माठ माठ होते हुए आगे खसरा संख्या 85 में चल रहे रास्ता से आवागमन करते हुए आगे सरकारी रास्ता खसरा संख्या 57 से आवागमन के रूप वैकल्पिक रास्ता का कथन किया जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खसरा संख्या 85 रास्ते की भूमि न होकर खातेदारी भूमि है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम रोजियो की ढाणी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 81 रकबा 0.5243 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 व 2 खातेदारी भूमि खं.सं. 82 रकबा 0.3701 हैक्टेयर में से 75 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई अर्थात 0.0300 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग गुलाबी दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक– राजस्व/2026/468 दिनांक 01.04.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

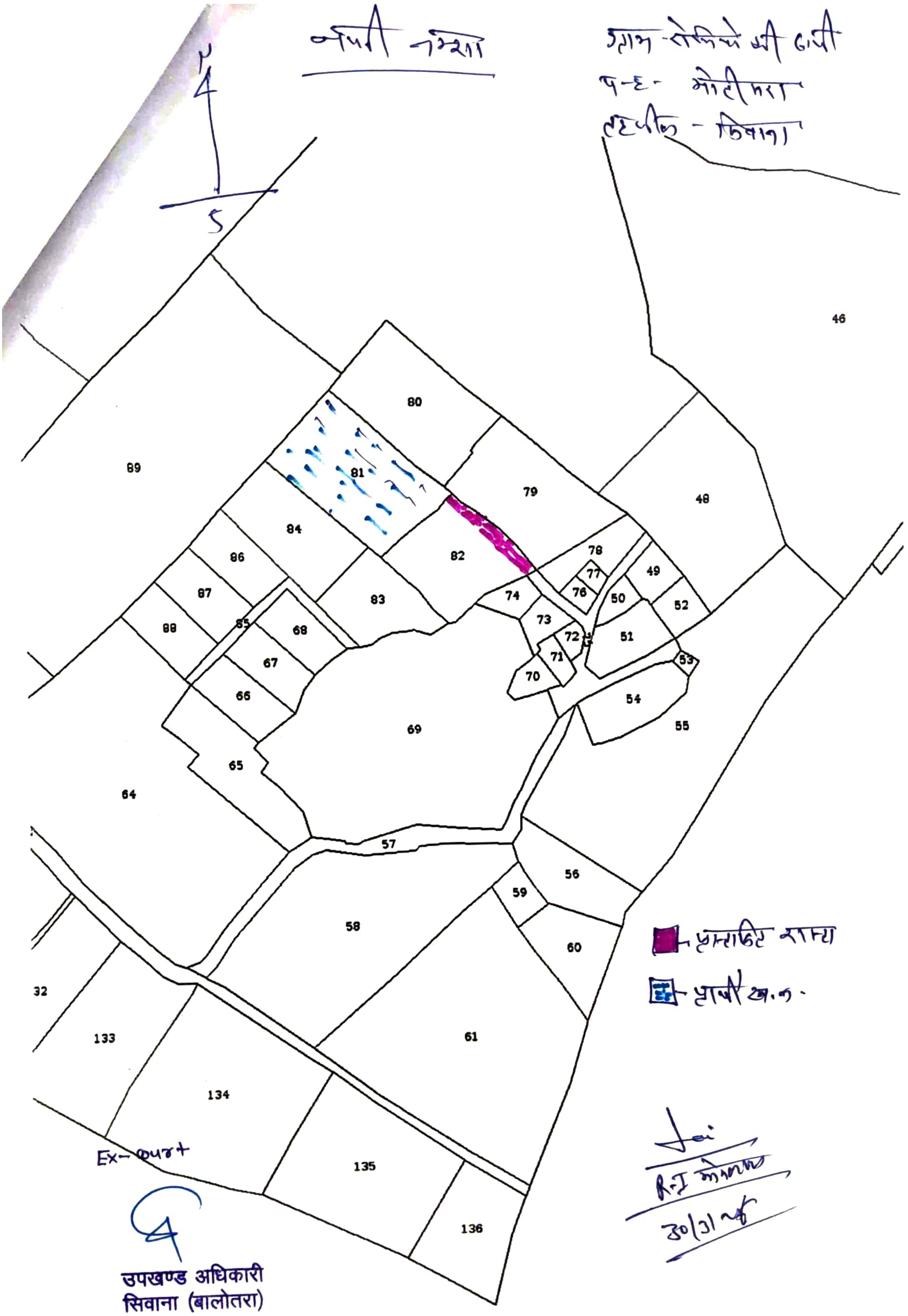

Scanned with OKEN Scanner